केस संख्या : वाद 142/17

केस संख्या		
		25.10.19 ... दिनांक 6.11.19 ...
		6.11.19 वा० व प्र० उप० । साक्ष्य हेतु पत्रावली प्रस्तुत है। एक [illegible] [illegible] [illegible] दिया जाता है कि [illegible] प्रतिवादी [illegible] [illegible] दिनांक 5-12-19 को पेश हो। आगामी पेशी पर साक्ष्य न करने पर साक्ष्य का अवसर स्वत: खारिज समझा जाएगा।
		सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
		पत्रावली आज दिनांक 5-12-19 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है. पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-12-19 को पेश हो।
	18/12/19	पत्रावली पेश हुई। वा० प्र० उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से प्रा० पत्र आदेश 8 नियम 1/1 [illegible] धारा 151 CPC व दस्तावेजों के साथ दस्तावेज पेश किए जिन्हें शामिल मिसल किया गया P.O साहब [illegible] [illegible] [illegible] है पत्रावली दिनांक 19/12/19 को पेश हो।
		सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	19.12-19	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी [illegible] उप० नहीं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] गई कोई उप० नहीं है [illegible] [illegible] [illegible] को है वादी व वादी [illegible] उप० नहीं है अत: वाद [illegible] [illegible] [illegible] पेरवी में खारिज किया जाता है दाखिल दफ्तर हो।
		सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Juhi Bhargava
Date: 2020.02.17 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested